

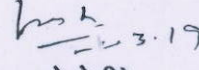
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(जी-303) अलेसे-1/1134

दिनांक:- 25/03/19

कार्यालय आदेश

श्री घनेश्वर दत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनंक नं. 1828) का विभागीय आदेश क्रमांक 764 दिनांक 01.11.2018 के द्वारा स्थानान्तरण पर देय कार्यग्रहण काल से अधिक उपभोग की गई अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रहण काल) नियम, 1981 के नियम 9 के अन्तर्गत विशिष्ट प्रकरण मानते हुए स्थानान्तरण पश्चात् सेवा अनुपस्थिति अवधि दिनांक 10.07.2017 से 23.08.2017 (कुल 45 दिवस) तक का रूपांतरित अवकाश एवं दिनांक 24.08.2017 से 01.11.2017 (कुल 69 दिवस) तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, जिसके क्रम में उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(जी-303) अलेसे-1/1134

दिनांक:- 25/03/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
3. श्री घनेश्वर दत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय- राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. रक्षित निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीक्रान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)